



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग का गठन

Posted On: 24 OCT 2017 12:31PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग का गठन किया है। चार सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी करेंगी। आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 से विज्ञान भवन एनेक्सी में स्थित कार्यालय से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और संबंधित अंशधारकों के साथ विचार विमर्श की शुरुआत की है।

वीएल/पीकेए/एमएस-5177

(Release ID: 1506945) Visitor Counter : 24

